न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी,एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

सीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
स्व प्रार्थनापत्र संख्या : 40/2020
MS NO. : 2020/00041

–: प्रार्थीया:– बनाम –: अप्रार्थी :–

1. शांति बेवा मदनलाल जाति– जाट, निवासी– खराड़ी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज०।

1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली

कर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजूः. 13/02/2020

स्थितः– 1. श्री राजीव लौचन, अधिवक्ता प्रार्थीया।
2. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 28/12/2021

वकील मय प्रार्थीया ने एक राजस्व वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 6 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय पेश किया कि सरहद मौजा खराड़ी में खाता संख्या 209 में खसरा नम्बर 03 बा 13 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 253 रकबा 11 बीघा 02 बिस्वा, खसरा बर 600 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 790 रकबा 03 बीघा 01 स्वा की आई हुई है। नकल जमाबन्दी संवत 2070 से 2079 की साथ पेश है प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावें। प्रार्थीया का सही नाम शांति है जो चान पत्र आधार कार्ड में दर्ज है इनकी छाया प्रति कार्यवाही के साथ पेश है। र्थीया के पति फोत होने पर प्रार्थीया के नाम नामान्तरण भरते समय प्रार्थीया का म शांति दर्ज नही कर मिसुडी बेवा मदन दर्ज कर दिया जो गलत है जो त्रुटी रुस्त किये जाने योग्य है, मिसुडी प्रार्थीया का नाम नही है जिसे न्यायहित में रुस्त किया जाना आवश्यक है, क्योकि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व नामान्तरणकरण निपेज संख्या –2 गलत नाम मिसुडी रह जाने से कठिनाई होगी व कानूनी चीदगिया उत्पन्न हो जायेगी ऐसी स्थिति में यह कार्यवाही प्रार्थीया गलत नाम मसुडी को दुरूस्त कर सही नाम शांति दर्ज करने के आदेश दिलावें। राजस्व रेकर्ड ी जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 12.02.2020 को प्रथम बार लेने पर र्थीया को जानकारी में आया कि उसका गलत नाम मिसुडी दर्ज कर दिया। धारा 36 आर एल आर एक्ट के तहत श्रीमान को रेकर्ड दुरूस्त [illegible] अधिकार है। ार्थीया अपने नाम दुरूस्ती करने हेतु तहसीलदार [illegible] 12.2.2020 [illegible] फया परन्तु वह इंकार को गये तथा बताया कि सक्षम न्यायालय [illegible] कार्यवाही करे सलिये यह कार्यवाही श्रीमान के समक्ष पेश है। अतः प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना त्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है, कि धारा 136 आर एल आर एक्ट के तहत जमाबन्दी में प्रार्थीया का गलत नाम मिसुडी को दुरूस्त कर शांति र्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:55 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस् वास्ते ाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार जैतारण की ओर ार्ट पेश की गई जो सा.मि. है। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार जैतारण ने नी रिपोर्ट पत्र क्रमांक/भू.अ./20/5638 दिनांक 31.12.2020 में कथन किया बिन्दु संख्या 1. राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 ग्राम डिगरणा अनुसार खसरा नम्बर 498/3 रकबा 4-06 बीघा किस्म गे.मु. एवं 498/4 बा 2-04 बीघा किस्म गे.मु. दर्ज है। बिन्दु सं. 2. पटवारी रिपोर्ट अनुसार वक्त लमेन्ट खसरा नम्बर 498 किस्म मगरा दर्ज है जिसमें वक्त आंवटन खसरा बर 498/1, 498/2 की किस्म मगरा से बा.अ. दर्ज कर दी गई जबकि खसरा बर 498/3, 498/4 की किस्म गे.मु. ही चली आ रही है। वर्तमान में उक्त मे काबिल काश्त है जो संलग्न गिरदावरी की प्रमाणित प्रति से स्पष्ट है। बिन्दु 3. हल्का पटवारी डिगरणा की रिपोर्ट दिनांक 31.12.2020 अनुसार वर्तमान में ऽ भूमि काबिल काश्त है। जो संलग्न गिरदावरी से भी स्पष्ट प्रतीत है। वांछित ुतोष श्रीमान के न्यायालय से सम्बन्धित है। बिन्दु सं. 4. कानूनी बिन्दु है। बिन्दु 5. कानूनी बिन्दु है। बिन्दु सं. 6. कानूनी बिन्दु है। बिन्दु सं. 7. वादी द्वारा हा गया अनुतोष श्रीमान के न्यायालय से सम्बन्धित है। बहस सरकारी पैरोकार ं वकील प्रार्थी की सुनी गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय स्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर र मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

. प्रार्थीया द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत र निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम खराड़ी के खसरा संख्या 03 रकबा 3-07 बीघा, खसरा संख्या 253 रकबा 11-02 बीघा, खसरा संख्या 600 रकबा 0-12 बीघा, खसरा संख्या 790 रकबा 03-01 बीघा में प्रार्थीया के पति के ौत होने पर विरासतन् नामान्तरण कार्यवाही के दौरान प्रार्थीया का नाम त्रुटिवश मसूड़ी बेवा मदन दर्ज कर दिया तथा प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक नाम शान्ति त्नी मदन है।

2. तहसीलदार जैतारण ने जवाब प्रार्थनापत्र में निवेदन किया है कि वांच्छित अनुतोष को प्रार्थीया स्वयं साबित करें।

3. प्रार्थनापत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात्, जमाबन्दी ग्राम [illegible] के अनुसार वादग्रस्त आराजी में मिसुड़ी बेवा मदन बतौर सह[illegible]दार [illegible] है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत स्वयं का आधार कार्ड, जनआधार [illegible] एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र में शांति पत्नी मदनलाल अंकित है। प्रार्थीया द्वारा न्यायालय हाजा के पूर्व निर्णित प्रकरण संख्या 184/2[illegible] अनवान शांति बनाम तहसीलदार जैतारण निर्णया दिनांक 19.06.2018 के अनुसार प्रार्थीया के पति का फौतदेगी नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थीया का नाम गलत रूप से मिसुड़ी दर्ज कर दिया गया। जबकि सही नाम शांति पत्नी मदनलाल है।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:55 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं उपलब्ध दस्तावेजात् एवं प्रार्थीया के शपथपत्र के आधार हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी में दर्ज स्वयं के नत नाम मिसुड़ी बेवा मदन के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम शांति पत्नी दनलाल दर्ज करवानें की अधिकारी है अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना विधि गत एवं उचित होगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया तर्गत धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें, रवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा खराड़ी टवार हल्का डिगरना तहसील-जैतारण, जिला- पाली के खसरा संख्या 03 रकबा 3-07 बीघा, खसरा संख्या 253 रकबा 11-02 बीघा, खसरा संख्या 600 रकबा 0-12 बीघा, खसरा संख्या 790 रकबा 03-01 बीघा में बतौर खातेदार दर्ज र्थीया के त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"मिसुड़ी बेवा मदन"*** को विलोपित रते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ***"शांति पत्नी दनलाल"*** दर्ज करते हुये प्रार्थीया को खातेदार घोषित किया जाता अन्य प्रविष्टियां थावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में सी मुताबिक इन्द्राजात् करते हुये भू अभिलेख में अद्यतन एवं परिशुद्ध करें। त्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/12/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2022.01.24 18:30:55 IST
Reason: SelfAttested